न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 196 / 2018

अपीलान्टस	बनाम	रस्पोन्डेन्ट
1- नरींगराम पुत्र चेनाराम 2- जीवाराम पुत्र चेनाराम 3- सुरेश पुत्र पुनाराम 4- भवरलाल पुत्र पुनाराम सभी जातियान सिरवी निवासीगण ग्राम बिजोवा, तहसील रानी, जिला पाली		1- गेनीबाई पुत्री डूगा पत्नी गमनाराम 2- हजाबाइं पुत्री डूगा पत्नी स्व0 मानाराम जातियान सिरवी निवासीगण ग्राम गुडालास तहसील बाली जिला पाली 3- सुखीबाई पुत्री डुगा पत्नी स्व0 बरदाजी सिरवी निवासी दादाई, तहसील बाली जिला पाली 4- रमेश पुत्र जीवाजी 5- लक्ष्मण पुत्र जीवाजी जातियान सिरवी निवासी तहसील के पास, रानी जिला पाली 6- पकीबाई बेवा जीवाजी जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी, जिला पाली 7- तीजां पुत्री जीवाजी जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी, जिला पाली 8- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर पाली जो राजस्व अपील संख्या 01ए / 2017 अनवान गेनीबाई वगैरा बनाम रमेश वगैरा मे दिनांक 7-12-2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः-

1-श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2-श्री हिम्मत सिह राजपुरोहित रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से ।
3-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25-3-2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिजोवा तहसील देसूरी हाल तहसील रानी जिला पाली के खसरा नंबर 379 रकबा 35.05 बीघा तथा खसरा नंबर 378 रकबा 0.05 बिस्वा कुल 2 खसरान की 35.06 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार डुंगा वल्द जेढा कौम सिरवी सा0 देह था । उक्त खातेदार डूंगा के फोत होने पर उक्त भूमि मे उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे उताराधिकार का नामांतरकरण संख्या 839 जायंदा पुत्र जीवाराम वल्द डुंगा 1/2 कौम सिरवी सा0 देह के नाम दर्ज करते हुए नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 7-1-83 को स्वीकृत कर दिया। उक्त म्युटेशन संख्या 839 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की वे मृतक खातेदार डुंगा की जायंदा पुत्रियां है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन मे पुत्र के साथ पुत्रियो का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु पटवारी हल्का ने पुत्रियो को उनके

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पिता के खातेदारी से वंचित रखते हुए अकेले पुत्र के नाम म्युटेशन संख्या 839 स्वीकृत कर दिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7-12-2017 के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 839 पर नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक डुंगा के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान का साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 से 4 अपीलाधीन भूमि के तत्समय के खातेदार स्व0 डुंगा पुत्र जेठा के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि के सद्भावी क्रेता है । अपीलांटगण ने स्व0 डुंगा के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के दिनांक 18-11-1982 एवं 7-1-1983 को खरीद कर ली थी तथा वक्त खरीद से अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित बेचान दस्तावेजो के आधार पर अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चला आ रहा है तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है उक्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा फिर भी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने रेस्पो0 संख्या 4 से 7 से मिलावट (दुर्भिसंधि) करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जिसमे वर्तमान अपीलांट जो कि अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा आवश्यक पक्षकार होते हुए उन्हे पक्षकार बनाये बिना वर्ष 1983 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 839 के विरूद्व प्रथम अपील पेश की, उक्त अपील मे रेस्पो0 संख्या 4 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय मे सही तथ्यो को प्रकट नही किया और अधीनस्थ न्यायालय ने भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना तथा वर्तमान रेकर्डेड खातेदारो को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9-12-2017 पारित करते हुए वर्ष 1983 मे स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 839 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक डुंगा के विधिक वारिसान की जाच कर पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करे, उक्त आदेश विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि मे वक्त खरीद से ही अपीलांटगण का हित निहित हो गया था इसलिए अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मृतक डुंगा के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिये है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17-12-2017 विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को

स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जाहिरा मयाद बाहर थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रांरभ से ही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम मे जानकारी के जिन कारणो का उल्लेख किया है, जो बनावटी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–12–2017 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 839 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा उसका समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 839 मे वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार डुंगा वल्द जेठा कौम सिरवी सा0 देह था जिसके फोत होने पर उसके हिस्से 1/2 हिस्से की खातेदारी के संबंध मे फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 839 मृतक खातेदार डुंगा के समस्त विधिक वारिसान की जांच किये बिना अकेल पुत्र जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 4 से 7 के पिता एवं पति जीवाराम वल्द डुंगा के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 3 भी मृतक खातेदार डुंगा की जांयदा पुत्रियां जीवित थी तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उनकी सहमति के बिना स्वीकृत कर दिया, जबकि मृतक खातेदार डुंगा की खातेदारी भूमि मे पुत्रियो का भी पुत्र के समान अधिकार था इसलिए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 839 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 7–1–83 प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध था तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 से 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मे पुत्रियो का अधिकार पुत्र के समान प्रारंभ से ही था इसलिए म्युटेशन संख्या 839 मे वर्णित भूमि के खातेदार जीवा वल्द डुंगा द्वारा अपीलांटगण को उसके हिस्से तक की भूमि का ही बेचान करने का अधिकार था इसलिए उसके हिस्से से अधिक भूमि का यदि बेचान कर भी दिया गया है, तो ऐसा बेचान प्रारंभ से ही विधिशून्य होने से ऐसे बेचान के आधार पर अपीलांट को किसी प्रकार का अधिकार हासिल नही हो सकते है ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 839 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 839 ग्राम बिजोवा तहसील देसूरी हाल रानी मे वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि का मूल खातेदार डूंगा वल्द जेढा था तथा खातेदार डूगा के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान मे एक पुत्र जीवा जो कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 4 से 7 के पिता एवं पति है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 गेनीबाई, हंजाबाई तथा सुखीबाई उक्त तीनो मृतक खातेदार डुंगा की पुत्रियां है, इस तथ्य मे कोई विरोधाभास नही है अथार्त खातेदार डुंगा के प्रथम श्रेणी के कुल 4 विधिक वारिसान थे परंतु उक्त खातेदार डुंगा के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये विरासत के नामांतरकरण संख्या 839 मे केवल एक पुत्र जीवा का ही नाम वारिस के रूप मे दर्ज कर स्वीकृत किया गया, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था क्योकि मृत डुंगा के प्रथम श्रेणी के समस्त विधिक वारिसान मे एक पुत्र एवं तीन पुत्रियों का नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था इसलिए मृतक डुंगा की पुत्रियों वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त नामांतरकरण की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अंदर मयाद सुमार करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विवेचन करने के बाद अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 839 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक डुंगा के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान का साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करने का जो आदेश पारित किया गया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है।

वर्तमान प्रस्तुत द्वितीय अपील मे अपीलांटगण ने मृतक खातेदार डुंगा के हिस्से की समस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद करना तथा अपीलाधीन भूमि पर वक्त खरीद से उनका ही कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए यह अपील पेश की है, तो इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदार डुंगा के एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां सभी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान थे, इस तथ्य का किसी ने कोई खण्डन नही किया है इसलिए मृतक खातेदार डुंगा के हिस्से की अपीलाधीन भूमि मे पुत्र पुत्रियों सभी विधिक वारिसान का समान अधिकार था । ऐसे मे मृत खातेदार डुंगा के अकेले पुत्र जीवा को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि के बेचान करने का कोई अधिकार ही नही था, बल्कि जीवा केवल अपने हिस्से तक की खातेदारी का बेचान कर सकता था ।

चूंकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे जीवा द्वारा किये गये रजिस्टर्ड बेचान के बारे मे इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की जाना न्यायोचित नही समझते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय 7–12–2017 मे इस आशय का अतिरिक्त निर्देश प्रदान करना न्यायोचित समझते है कि अपीलांटगण जो अपीलाधीन भूमि के केतागण है, वे भी तहसीलदार रानी के समक्ष

प्रति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है तथा तहसीलदार रानी मृतक डुंगा के विधिक वारिसान के साथ साथ अपीलांटगण को भी सुनकर म्युटेशन के संबंध मे पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उक्त अतिरिक्त निर्देशो के साथ अपीलांटगण की उक्त अपील निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 25-03-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर